प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश की 30 कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की संख्या में विस्तार, सर्वर व स्टोरेज की व्यवस्था की कार्ययोजना के क्रियान्वनयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16961/आधु0-1/सीसीटीवी/विस्तार/2022 दिनांक-27 मई,2022 एवं पत्र संख्या-18294/आधु0-1/सीसीटीवी/विस्तार/2022 दिनांक-08 जून,2022 एवं शासनादेश संख्या-38/2022/216/22-4-2022-107(ब)/12टीसी, दिनांक-16 मार्च,2022 तथा क्रयानुमोदन शासनादेश संख्या-87/2022/324/22-4-2022-107(ब)/12टीसी, दिनांक-31 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक-16 मार्च,2022 द्वारा प्रदेश की कारागारों में प्रथम चरण में स्थापित 22 कारागारों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों का पुर्नस्थापन तथा 30 कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की संख्या में विस्तार एवं सर्वर आदि की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 977.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-87/2022/324/22-4-2022-107(ब)/12टीसी, दिनांक-31 मार्च, 2022 द्वारा क्रयानुमोदन प्रदान किया गया। कारागार मुख्यालय की सूचनानुसार विगत वित्तीय वर्ष में योजना को क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित समय न होने के कारण दिनांक-31.03.2022 को धनराशि राजकोष में समर्पित कर दी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की 22 कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कमरों का पुर्नस्थापन तथा 30 कारागारों में कैमरों की संख्या में विस्तार, 30 कारागारों में सर्वर तथा स्टोरेज की व्यवस्था कराये जाने हेतु की गयी बिड की कार्यवाही में जैम पोर्टल पर कार्यादेश निर्गमन/अनुबन्ध निर्गमन/क्रयानुमोदन की अनुमति प्रदान करते हुए तथा दिनांक-16/03/2022 को प्रदत्त शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम (शासनादेश संख्या-38/2022/216/22-4-2022-107(ब)/12टीसी, दिनांक-16 मार्च,2022 के संलग्न में उल्लिखित विवरणानुसार) में धनराशि रू0 9,75,89,330/-(रूपया नौ करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार तीन सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीने और साज/सज्जा उपकरण और संयंत्र" मद से किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/ महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा|

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि शासनादेश दिनांक-16.03.2022 द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

(8) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा बिड की कार्यवाही तथा क्रयानुमोदन की वैधता के सम्बन्ध में स्वस्तर से सुनिश्चित हो लेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,75,89,330 (रुपये नौ करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार तीन सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-12-86-X-2022-23, दिनांक- 7.9.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/2022/865/001-22-4-2022-107-B-2012, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त। (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।